

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 21 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-279-80

दिनांक : 03-05-2025

कुलदीप कुमार पुत्र केसों, निवासी गांव चीण, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भजोत्रा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-5873, Dated 13-03-2025.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक कुलदीप कुमार पुत्र केसों, निवासी गांव चीण, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री कुलदीप कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 13-03-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री कुलदीप कुमार पुत्र केसों, निवासी गांव चीण, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-12-1989 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री कुलदीप कुमार पुत्र केसों, निवासी गांव चीण, डाकघर भजोत्रा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव भजोत्रा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 24 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-281-82

दिनांक : 03-05-2025

सोभिया राम पुत्र जैदियाल, निवासी गांव करवाल, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-3925, Dated 18-02-2025.

2. शपथ-पत्र
3. मृत्यु रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड
6. पेन कार्ड

जिसमें आवेदक श्री सोभिया राम पुत्र जैदियाल, निवासी गांव करवाल, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता जैदियाल की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री सोभिया राम के पिता जैदियाल की मृत्यु दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सोभिया राम पुत्र जैदियाल, निवासी गांव करवाल, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 10-03-1997 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में जैदियाल पुत्र गंगू, गांव करवाल, डाकघर पन्ताह की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 25 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-283-84

दिनांक : 03-05-2025

सुरेश कुमार पुत्र हरिचंद, गांव व डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र
संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8930, Dated 28-04-2025.

2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक सुरेश कुमार पुत्र हरिचंद, गांव व डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक सुरेश कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-04-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुरेश कुमार पुत्र हरिचंद, गांव व डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 16-06-1972 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक सुरेश कुमार पुत्र हरिचंद, गांव व डाकघर लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 22 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-285-86

दिनांक : 03-05-2025

प्रिया पुत्री कमलेश कुमार, गांव गडण, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र
संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-3975, Dated 18-02-2025.

2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदिकर प्रिया पुत्री कमलेश कुमार, गांव गडण, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिक प्रिया का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रिया पुत्री कमलेश कुमार, गांव गडण, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 03-10-2005 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका प्रिया पुत्री कमलेश कुमार, गांव गडण, डाकघर बाड़का की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बाड़का को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 06 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-287-88

दिनांक : 03-05-2025

गगन सिंह पुत्र निकू राम, गांव हलेला, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौड़ा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2024-500, Dated 07-01-2025.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक गगन सिंह पुत्र निकू राम, गांव हलेला, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री ईशा देवी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक गगन सिंह की पुत्री ईशा देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-01-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गगन सिंह पुत्र निकू राम, गांव हलेला, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की पुत्री ईशा देवी की जन्म तिथि 18-01-2008 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक गगन सिंह पुत्र निकू राम, गांव हलेला, डाकघर मौड़ा की पुत्री ईशा देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मौड़ा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

